प्रेस विज्ञप्ति

31.01.2024

प्रवर्तन निदेशालय ने मैसर्स कन्नूर अर्बन निधि (केयूएन) में हुई धोखाधड़ी के लिए धन शोधन मामले में चल रही जांच के संबंध में केरल के त्रिशूर और मलप्पुरम जिलों में एंटनी सनी पी, शौकथली एम एम, गफूर के एम, जसीना एम जे (मैसर्स कन्नूर अर्बन निधि के प्रमोटर निदेशकों) के आवासीय परिसरों पर 29/01/2024 को तलाशी अभियान चलाया।

प्रवर्तन निदेशालय ने मेसर्स कन्नूर अर्बन निधि, इसके निदेशकों और प्रमोटरों के विरुद्ध कन्नूर पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इस कंपनी ने दृश्य मीडिया और अन्य विज्ञापन माध्यम से कन्नूर और पड़ोसी जिलों में अपनी जमा योजनाएं प्रचारित की। कंपनी ने सावधि जमा पर 12% से 12.5% तक ब्याज की पेशकश की, जिससे विभिन्न जिलों के निवेशक मेसर्स केयूएन की जमा योजनाओं में निवेश करने के लिए आकर्षित हुए।

इसके अलावा, मैसर्स केयूएन के प्रमोटरों द्वारा मैसर्स एनी टाइम मनी प्राइवेट लिमिटेड (एटीएम) के नाम से एक नई कंपनी की स्थापना की गई। कंपनी की स्थापना आईटी सक्षम व्यवसाय जैसे वॉलेट व्यवसाय, डिजी नेक्स्ट बैंकिंग, मोबाइल एटीएम सेवा, घरेलू धन हस्तांतरण आदि संचालन के उद्देश्य से की गई थी। इस कंपनी की स्थापना के लिए आरोपी व्यक्तियों ने मैसर्स केयूएन से भारी मात्रा में धनराशि का हस्तांतरण किया। इन धनराशि को आगे आरोपी व्यक्तियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और उनके द्वारा अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत खर्चों के लिए उपयोग किया गया जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों को बकाया का भुगतान नहीं किया गया।.

तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, संपत्ति के दस्तावेजों की प्रतियां जब्त की गईं और आरोपी व्यक्तियों से जुड़ी फर्म के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।